04/03/2020

वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रतिवादी द्वारा जबाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया गया कि वादी एवं प्रतिवादी के मध्य सीमाज्ञान का विवाद है और सीमा ज्ञान कराया जाकर विवादित खसरा नम्बरों की मध्य मेड़ पर पत्थरगढ़ी कायी जाकर प्रकरण निस्तारण किया जा सकता है सीमा ज्ञान कराये जाने पर वकील वादी भी सहमत है। अतः आपसी सहमति के आधार पर दोनों पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि विवाद मुख्यतः सीमाज्ञान का है क्योंकि वादी की विवादित आराजी से प्रतिवादी की विवादित आराजी लगी हुयी है। वादी प्रतिवादी पर आरोप लगाता है कि उसने मेरी आराजी को कब्जा कर जोत लिया है तथा प्रतिवादी वादी पर आरोप लगाता है कि वादी ने मेरी आराजी को जोत रखा है। उपरोक्त परिस्थिति में दोनों पक्षकारान की विवादित आराजीयात का सीमाज्ञान कराया जाना आवश्यक है एवं न्यायोचित है। अतः न्यायालय वादी का वादपत्र एवं प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाना उचित समझती है।

अतः आदेश है कि दावा वादी एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादित आराजी ख० नं० 1732/1467 रकबा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
5/3/2020	1649/503 रकबा 5-00 बीघा वाके ग्राम बिकरौंदा तहसील राजाखेड़ा का सीमा ज्ञान नियमानुसार कराया जाकर दोनों खसरा नम्बरों की मध्य की मेड़ पर सुरक्षा चिन्ह (पत्थरगढ़ी) कायम कराये जाने बाबत आदेश तहसीलदार राजाखेड़ा को जारी हो। साथ ही वादी एवं प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह तहसीलदार राजाखेड़ा द्वारा सीमाज्ञान कराये जाने पश्चात एक-दूसरे की आराजी में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करें। और न ही भविष्य में सीमाचिन्हों को नष्ट-भ्रष्ट करें। पक्षकारान सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी का खर्चा नियमानुसार स्वयं वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। हुक्म सुनाया गया।	